24I Question of VAISAKHA 16, 1887 (SAKA) Privileges

12.18 hrs.

QUESTION OF PRIVILAGE RE: A LETTER ALLEGED TO HAVE HEEN WRITTEN BY EMPLOYEES OF HINDALCO TO THE PRESIDENT OF HINDALCO

भ जनेक्वा मिश्र (इसाहाबाद) भष्टयक्ष महोदम, में नियम 222 के तहत विशेषाधिकार भय का 'वाल उठाना चाहवा ह। मैंने गुक्रवार 2 मई को वित्त विधयक पर बोलत हुए व्यापार ग्रौर सरकार के बीच से हुए कई प्रकार के सम्बन्धों का जिक किया या तथ। उससे उत्पन्न भ्रष्टावार की स्थिति को खेकर उत्तर प्रेदश के हिन्डा-लको, मिर्जापुर के कर्मचारियो की चिट्ठी हिन्डालको के सबसे बडे प्रशिकारी श्री कोठारी के नाम लिखी गई, पढ़कर सुनाया। जिस सिलसिले में वित्त मती थी सुब लण्यम ने बतोर स्पष्टीकरण प्रधानमती का एक खत जो झाप के नाम लिखा गया है, विस विधेयक का जवाब देने हए, उसका हवाला दिमा । प्रधानमती जी मौर वित्त मती जी ने सह कहा है कि जिस चिट्ठी का मैंने हवाला दिया है, वह जासी है। मैं समझता हु कि यह भारोप मिथ्या है भीर जातबुझ कर सुझे बदनाम करने के लिये देशा किया बया है। प्रधान मली जी ने झपने पक्ष मे राज्य सभा के सदस्य श्री राजनायायण ना भी जिन किया है जिस मे बन्होंने कहा है कि . श्री राजनारायण ने भी इस सवाल को उठावा मा, लेकिन चिट्ठी की फ़ोटो कापी के बजाय जब उन से मूल कापी सांगी गयी तो उन्होने पेश नही किमा । मैंने श्री राजनारायण से सम्पर्क किया ।

उनका कहना है कि उनसे कमी प्रतिमूख मानी नहीं गईं। इस तरह से प्रधान मंत्री जी ने तथा त्रित्त मंत्री जीने मिथ्या भाषण के द्वारा सदन को गुमराह किया है।

मेरे पास श्री राजनारायण जीका वह पत्न हैं जो उन्होने ध्राप के पास लिखा है। मैं उस पन्न को यहा पढ कर सुना देना चाहता हू----

> "मुझे समाचार पत्रों ने प्रधान मली के एक नकली बनावटी पत के बारे में समाचार हुढने क मिला कि ुल्हों ने हिण्डालक। के सम्बन्ध में उस पत की मुलप्रति मागी जिस पत्र मे उनके पी॰ एस॰ कः पाच लाख रूप ग श्री ठी० पी० भगत मौर बी० एन सनसैना द्वारा दिया गया है । बहु पत 7-11-67 का है। इस सम्बन्ध में राज्य सभा मे हमने कहा था प्रधान मती के सचिवालय ने या प्रधान मती के किसी सचिव ने या प्रधान मती के किसी अफसर ने उस पत्न की मूल प्रतिन ते, मुझ से कभी मानी या न तः उस सम्बन्ध में कभी बह सूचना दी कि उन्होंने कब उसकी जाच कर-वायी कि 'ह पत्र जाली है ।

> मै-कानूप प्रास्त का विकार्थी हाने के ताले यह कहना चाहता हू कि श्रीम ते. गाधी का काई जान-करता जांच के सम्बन्ध से मुझ से प्रमी नही मिला ! न तो किसी ने मुझ से पूछा कि यह पख प्राप को कब कहां मार कैसे मिला ! मै बहुत ही दु.क के साथ यह कहना चाहता

[श्री जमेण्वर मिथा]

कि प्रधान मंत्री जी के सम्बर एक सावत विकसित होती था रही है कि वह बरावर दा जीम से बोसती हैं सौर अब झपने ही बयान में कहीं फंसती है ने वहां से सीधे हट जाती है।

मेरे पास प्रभी इन्दरा जी के सम्बन्ध में कई खतों की मूल प्रतियां हैं, जसे एम• ग्रो॰ मचाई, जीमनी धर्म तेजा जिसमें धर्म तेजा ने लिखा है कि केन्द्रीय सरकार ने जयंती चिपिंग कम्पनी के साथ श्रीम री गांधी के साथ जा दार्ब-क्लन हुन्ना या वह काट दिया जाव...'' (आवधान).....

यह मैं राजनारायण जी के पक्ष को पढ़ रहा हं...... (व्यवचान)......

प्रच्छा छोड़िये—मेरे पास, घध्यक्ष महोदय, उक्त पत्न जिसमें प्रधान मंत्री के सचिवालय द्वारा हिन्डालको से 5 लाख क्षपा लेकर अविक धन्न्दोलन नहीं होने देने का धाधवासन दिया गया, उसकी मूल प्रति, श्री कोऽ री के नाम लिखी गई है, जो मैने घाप को कार्यालय में दिखाया बा, राजनारायण जी भी वहां थे, जिसे मैं घाप के सामने पेश कर सकता हूं।

मं झाप से निवेदन करूंगा — देश झौर सदन की गरिमां को देखते हुए, झण्टाभार को रोकने के लिये सवा झगर सरकंार का यह झारोप मेरे ऊपर सही है कि यंड पक्ष जाली है तो जालसाची को रोकने के लिये — मेरा झारोप प्रधान मंत्री झौर मुब्रह्मण्यम पर झण्टाचार का है झौर इन का झारोप मेरे उत्पर जालसाची का है — इसलिये मेरें खिल (क गी. विसेषाधिकार भंग है---इन होनों के खिलाफ़ विशेष--धिकार भंग का साफ कारण बनता है, इसलिये इस मामले की घाप एक सबवलीय संसदीय समिति के ढ़ारा जॉच करायें मा विशेषाधिकार समिति के ढारा जॉच करायें--यह में बहुत ही नच्रता के साच निवेदन करता हं।

इस समय जिस तरह से स्वडाण्यम साहब ने कहा था कि मैंने जिस चिट्ठी का हवाला दिया था, उस चिट्ठी को नफरत की लिगाह से, तुच्छ निगाह ते देखना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि भीमती इन्दिरा गांधी ने जो चिट्ठी भाप को लिखी है उसके सम्बन्ध में ऐसी कड़ी भाष। बोलूं कि यह सदन उसको तुण्छ निगाह से देखें। मैं जानता हं कि यहां पर इनका बहुमत है, जब भी कोई बात झाती तो हल्ला मचा कर शेम-शेम कह देते हैं। लेकिन मैं चाहता हं कि इसकी जांच कर।ई जाय । जिन्होंने दस्तखत किये हैं उनके सिगनेचर्जको एटेस्ट कराया जाय और जिस तरह से मुन्नह्राण्यम साहब ने राज्य सभा की प्रोसीडिंग्य का हवाला दिया है----में समझता हूं कि इस सबन का नियम है कि दूसरे हाउस में क्या हो रहा है, उसकी चर्चा न की जाय,----वहां पर जब राज्य समा में चर्चा हुई तो वहां के चेयरमन के नाम कोई खत इन्होंने नहीं लिखा--- क्यों नहीं लिखा? जब राजनारायण ते यह सवाल उठाया था. तब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने क्यों यह सवाल नहीं उठाया कि बह बत वासी है और राजनारायण ने ऐसा केई सोरियनल नहीं दिया ? स्वां वर्षह हैं कि ऐसा प्राप के पास ही जिया ?

245 Question of VAISAKHA 16, 1897 (SAKA) Privileges

सुबद्दाव्यम साहव का कहना है कि इस बात का केवस पांच लाख रूपया---इ ानो छ/टो रकम----ो मै कहना वाहना हूं कि सम 1967 में इन्दिरा जी का ने त्व इति सम 1967 में इन्दिरा जी का ने त्व इति सम 1967 में इन्दिरा जी का ने त्व इत का कम था कि इस से बढी कीमत नहीं दी था सकती थी, घब उनकी कीमत बढ़ गई है। उस समय कीन उनके निजी सचिव मे इस की जांच होनी चाहिये।

श्री वयु लियये: घष्यक महोदय, वैने वी नोटिस दिया है, घयर मंत्री महोदय इकट्ठा जवाब दें तो मच्छा है।

ग्राण्यक महोदय : ग्राप पहले उनको सुन से ।

भी मधुलिमयेः वहबाद में जवाब दें। मै ब्रापका ज्यादा समय नही लूगा ।

भ्राष्यक महोदयः भ्रापकी तःक से वे बोल युरुं हैं।

भी मधु लिमये : लेकिन मैंने बाकायदा नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : जो नोटिस देते हैं, उनमें से एक को ही वुलाते हैं, जो पहला होता है।

भी मध् सिमये : जो बात उन्होंने नही कही है, मैं वही कहूंगा ।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI C. SUBRAMANIAM): You hear me first....

SHRI MADHU LIMAYE: You can give your reply later, after hearing me also. मध्यक महोदय, मैं ज्यादा समय नही लूगा । इनमें कई सवाल उल्पन्न होते के जिनका ज्याद मैं मंत्री की से चाहंगा ।

(1) क्या मूल पत्र एक खन क्षारा राजनारायण जी के पास से मागा गया था? उसका ग्रगर सद्रुत इनके पास हो तो दह सदन के सामने रखें।

(2) क्या झोरिजिनल लेटर देने से राज-नारायण जी ने इन्कार किया था ? उसका भी झगर सबूत है तो दे दें। झौर जब झोरि-जिनल लेटर राजनारायण जी ने झाप को दिखा दिवा तो ऐसी हालत मे क्या झागे काग्रैकाही होनी चाहिये इनके ऊपर भी झाप झौर सदन विचार करें। मेरी यह राय है कि यह जो मोरिजिनल लेटर राजनारायण जो ने झापको दे दिया ...

धाम्यक महोदयः वह तो ले गर्थे हैं साथ ।

भी सभू लिसये : मेरी जनसे बात हई है, वह देने के लिये तैयार हैं। मैंने उनसे पूछा है। तो इसलिये मेरा कहना है कि यह मामला प्रिविलेज कमेटी के सामने जाय, इन के बयान के बाद, और यह प्रोरिकिंगल लेटर सही है कि नहीं इसकी बांच प्रिविन लेव कमेटी करे और एक्पर्टस को नुलाया जाय, इस बारे मे। और प्रगर जाली है तो यह सदन और भाप माननीय क्लोक्वर मिल्र को सजा दे। राज्य सभा भी वे सकती है। लेकिन ग्रामर यह साबित हो गया तो माननीय सुबहमण्यम और प्रवान बंदी, के 247 Question of Privilege

[की मधु लिमये]

विसाफ सब्त से लवा कार्यवाही हम लोगों को करनी चाहिये। इस माबले को हल्के दंग से हम लोगों को खरम नहीं करना चाहिये।

Some hon, members rose-

MR. SPEAKER: I am not allowing any debate.

SHRI SHYAMANANDAN MISHRA: On a point of propriety.

MR. SPEAKER: Not at this stage. I am not giving my consent. The Minister.

SHRI C. SUBRAMANIAM: Mr. Speaker, Sir, this is the letter which the Prime Minister wrote to you. I am reading only the relevant portion:

"Some time ago a photostat copy of the letter which presumably Shri Mishra read in the House was brought to our notice by Shri Raj Narain, MP. I ordered an investigation into the matter which showed that the said photostat copy was a forgery and that no officer of the HINDALCO had ever written such a letter. The results of investigation were communicated to Shri Raj Narain by my Secretariat. When he insisted that the letter was genuine and wanted further probe into the matter. it was suggested to him that, for any further investigation, the original letter would be necessary which might be produced. My Secretariat did not get any 'reply from Shri Raj Narain."

Therefore, it is not correct to say that no request has been made to Shri Raj Narain to produce the original letter. Now, I am reading the English translation of the Hindi letter written to Shri Raj Narain....

SHRI MADHU LIMAYE: Let us have the original.

SHRI C. SUBRAMANIAM: The original is with Shri Raj Narain. I have got the copy. That is before the Rajya Sabha now. I am reading the English translation of it. This is dated .11th November, 1974.

"Dear Shri Raj Narain

I have received your letter sent in reply to mine of '26th'October. You want that the letter writign to Shri Kothari on 7th November, 1987, should be probed into further.

As I mentioned in my earlier letter, the photostat sent by you has been investigated and that it does not appear to be genuine. For any further probe, the original will be required. If you could send the original, the question of further action can be considered. Sd. B. N. Tandon,

Secretary to the Prime Minister."

भी जनेश्वर मिश्र यह जाली चिट्ठी

है, कैसे हम विश्वास वरें।

SHRI C. SUBRAMANIAM: It was sent on 11th November, 1974 and therefore, the allegation that Shri was asked to produce Raj Narain the original letter and therefore. the question does not arise, all this has been going on false premises. Here is a specific request to him, that, 'If you want any further probe, kindly produce the original.'... (Interruptions) There was no reply from Mr. Raj Narain to this letter and even now what the Prime Minister said is that the original letter will be necessary for any further probe.

को जबु लिसये प्रध्यक्ष महोदय, जब प्रधान मंत्री के माफिस से पत्न झाता है तो हम लोगों का हस्ताक्षर लिया जाता है, यह मैं जानता हं। हमेणा बिना हस्ताक्षर के द्वधान मंत्री की चिट्ठी काफी.. इस लोगों को नहीं मिलती । भी भागेत्वार मिथा इंदला पुरामा किस्सा है फिर प्रघान प्रांती ने चेयरमैन, राज्य सभा को क्यों नहीं लिखा ? घान को क्यों नहीं लिखा ?

SHRI C. SUBRAMANIAM: Therefore, there is absolutely no misrepresentation about any fact. The fact is that Shri Raj Narain was asked to produce the original letter if there has got to be any further probe, and no reply was received. I do not see how any privilege question arises out of this. Even now if they produce the letter, there can be a further probe.

SHRI:MADHU LIMAYE: Why did you threaten to send Mr. Janeshwar Misra to the Privileges Committee? By all means send him.

SHRI. SHYAMNANDAN MISHRA: What the hon. Minister has stated just new amounts to saying that a letter way indeed sent to Mr. Raj Narain and he was asked to produce the original. The point for consideration is whether any reliance can be put on the statement made by the hon. Minister....

SHRF B. K. DASCHOWDHURY (Couch-Behar): Why not?

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: I am coming to that. If any letter is sent by any one of us also, the receipt of is signed by the recipient or anybidy of behalf of the recipient.....

SHRI (S) M; BANERJEES (Kan-

भी स्वामनम्बर्ग मिश्र १३२ झाप जन्य मेरी बात शान्ति, से सूत, जीविये ।

ग्रियेवर्गं प्रहीशिय (एक मिनट) से अस्त्रिये ।

 करने माये हैं। सारों जेसीको सुनिवे। अह वाल जया है ????

S. Conner

ग्राम्थल महीव्यं संगय ग्रायेणां तव सुर्तेगे । मधी तो भाष ने पौइंट प्राफ़ प्राडर उठाया है बहो कहिये।

भी क्यांमनः दन मिम्राः वेकार वात कर रहे हैं ?

सध्यक्ष महीवय : साप पौइंट झाफ झाईर पर माइये ।

वो क्यामनन्दन मित्रः हो या रहा हे।

भ्राष्ट्रवा महीवेग : आप जैनस्तिमेन की तरह बात कीजिये । इस तरह फ्राउन करेंने इससे क्या फ्रायदा है । आप ने पोइंट माफ़ मार्डर उठाया है उस पर कहिये ।

को ग्रहासनन्दन सिंखः यही गजत तरीके है जिन पर हम कुछ ग्रंपना रोष प्रकट करते हैं।

The point is whither any reliance can, be put on the statement insite by him and why should not one assume that, such a letter has been forged by the Prime Minister's Secretariat? If there is no proof of vite receipt by the addingsee, then the assumption could be that disgues an after thought and this has been a forged document from which the hom. Minister has read. So, the

Now, the point for consideration is—this is a point of propriety foowhether a letter written to you by the Prime Minister in reply to a pointed allegation made by an hon. Member should be read out in this House. That is a point of progriety because the Prime Minister " could very well have taken the opportunity of making a statement on the floor [की श्वामनन्दन मिश्र]

of the House contradicting the allegation made by the hon. Member. Instead, the Prime Minister sent a communication to you....

धी मधु लिमये : कृलिमस्तान के समय जी प्रापके माफिथ को इंस्ट कमेंट बनाया गया

था, यह मैं जानता हूं।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA:and the hon. Minister utilised that communication in replying to the point made by him.

Now, you would be confronted, Mr. Speaker, with a very peculiar situation.

MR. SPEAKER: I am always. (Interruptions)

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: This is a matter of propriety. When we also begin replying to the points made by them through latters addressed to you and we also begin quoting from those letters, very peculiar situation could be created in the House. You have to give a serious thought to that aspect of the matter also

Now, Mr. Speaker, the Prime Minister has said in her communication to you that she ordered an investigation into the matter. The person who has been accused had ordered an investigation into the matter. Could anybody in his senses put any faith in that kind of investigetion and could the House be asked to believe the results of that investigation? Of course, a person (accused) can vary well set up an investigation to her own advantage.

Finally, can an hon. Member...... (Interruptione)

वी पंजावतार झाल्ती (पटना) : केवल एक झादमी की यहां वोलने के लिए क्योंनी नहीं है। एक झादमी को ही वोलने दिया आय, यह बात नहीं चलेनी । ग्रम्यक महोवय जाव गी बोली !

्भी स्वाधनम्बन सिम माप बाद में मपनी बात कडिए हे

भी रामावतार झाल्बी : इन्होंने हाउस की मोलेसोलाइज कर लिया है । वन बाई वन सब को च्यान्य दीषिए ।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Can an hon. Member of this House, more so the Prime Minister refer to anything that happens in that House? Now the Prime Minister said and the Finance Minister also.....

MR. SPEAKER: This is about the statement.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: She should have referred to the statement made by hon. Janeshwar Misra and not hon. Mr. Raj Navain. This is a very delicate matter that she is referring to. The Prime Minister says that presumably he was reading out from a letter which had been cited by Mr. Raj Narain. What business has the Prime Minister to assume that the hon, member was reading from the said letter which might have been a forged or not a forged letter? Now as the hon. Member said, reference should have been made to the hon. member of this House and not to an hon. member of the other House.

MR. SPEAKER: No debate.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Let Mr. Subramaniam satisfy this House that the letter just now read out was received by Raj Narsin. Then we can proceed.

MR. SPEAKER: This is the letter which was addressed to me. This arose-while speaking on the Finance Bill on 2nd May, Janeshwar Misra alleged that Shri S. S. Kothari presented Rs. 5 labhs to the private Secretary.

259 Question of VAISAKEA 16, 1667 (SAKA) Privileges

This arose out of the statement of a Member of this House and this too while he was speaking on the Finance Bill which Bill the Finance Minister was piloting. (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please do not do like that Mr. Misra. (Interruptions)

This comes to me and I give the direction. It is much more than what he writes to me. He makes a statement in the House itself. What is wrong about it?

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA No A statement in the House.

MR. SPEAKER: The Minister, instead of writing to me, makes a statement in the House. There is no question of propriety or impropriety and then Mr. Raj Narain comes to me about two or three minutes before I am about to come here. As you know, he was accompanied by our own Member. He showed me something. There was some file also along with the letter in question. I told him, please keep It with you; otherwise, if you give it to me today and tomorrow you say 'It is not the same letter' what will happen? I am not prepared to take the risk. So, I gave that back to both of you, to preserve. If you say later, this letter is not that one which was read out, then, nobody is prepared to spare me also!

वी एव० एन० वनवीं : प्रांथप्र महोदप, मेरा प्वाहट प्राफ़ प्रार्डर है । जितना टाइम मिला जी ने लिया है में उतका एक-पीवाई ही लूना । मेरा प्याईट स्राफ बार्डर केवल इतना है कि मह को प्रिंदिलेल सोतन 222 में रेज किमा गया है यीर इसके लिए प्राप को नीटिस दिया नया है । MR. SPEAKER: Only point of order. I am not allowing any debate.

भी ए स० एम० मनजीं मेरी बात सुन लाजिए । प्याइन्ट माफ मार्डर रेडी-मे थोडे ही होता है ।

MR. SPEAKER: Only point of order. I am allowing you because you wanted to raise a point of order.

भी एस॰ एम॰ बमजी मेरी प्वाइंट माफ़ मार्डर यह है कि झाप के सामने एक नोटिस दिया गया धौर उसमे धारोज सिर्फ़ यह है कि उन्होंने जो बिह्ठी पड़ी है उसमे यह कहा गया है कि जो लैटर की फोट स्टेट कापी दी है, वह ग्रलत है और इन्होने कहा है कि राज नारायण जी ने उसका भोरीजिनलदि खाया भाषको.. दो मिनट पहले ही (म्बचभाग). दिखाया. उसको वे देने के लिये तैयार हैं। मैरा कहना यह है कि दो मिनट के लिए यह भूल जाएं कि यह प्रिविलेज मोजन है या नहीं, लेकिन में झाप से यह निबेदन करना चाहता है कि इस तरीके से जी झारोप झीर प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, उसके बारे में को मिसालें इसी सदन

की हैं। मैं झाप के सामने एक मिसाल रखना चाहता हूं कि मनी राम बागड़ी जी ने यहां पर प्रोफेसर हमायूं कबीर के उत्पर झारोप लगाए वे झीर उनकी जाव की गेई।

ध्क सामनीय भवत्व : को प्रकास-बीर सास्त्री जी ने चडे ।

MAN 8, 1975. Question of Printings 256

· भीः इसत राम० वयनीः : जेकाम मीर शास्त्री जी में भी । तो मनी राम बागडी जी ने जब झारोप लगाए थे, उत्रम्मय सदन के मध्य त श्री हकम सिंह जी थे। उस सनय बह अपील की गई थी कि इस तरह के जो धारोप लगाए जाते हैं एक दूसरे के ऊपर छसते सदन की मर्याका नंहीं र ती है। धव 5 लाख रुपया प्राइवेट सेकेटरी ने लिया है या नही, इसके बारे में तो अभी कुछ महीं कहा जा सकता लेकिन मैं यह चाहता हं कि इसकी इक्वायरी हो । यह जोश्इक्वायरी हो, यह सदन की समिति बना कर प्राप करातं या फिर झाप इसकी इंक्वायरी' करें भीर में यह नहीं चाहता कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस तरह के मारोप लगें। अगर आरोप जो लगाए गये हैं, बे सही हैं, तो मैं समझता ह कि प्राइवेट सेक्रेटरी को कान पकड कर निकाल वेशा चाहिए ।

255 Question of Privilegy.

MR. SPEAKER: Mr. Banerjee, this letter is of 1967-that is, 8 years before.

उस बनाकी थता कडिये ।

भी जनेवनर मिन्न 'उस समय का प्राधनेट सेनेटरी दो सब मेम्बर बन नया है।

. श्री एस॰ एम॰ बनर्षी : पाइनेट छेकेठरी मती मी बन सकला है और प्राइनेट सेकेटरी काई मायूली युम्बसी नही है । ; प्राईनेट सैकेटरी का मती से ज्यादा यद , रहता है । इसलिये में प्राप से इस पर कर्मिक पान्ता हू । इसक : आम प्रिमिलेज म, स.त. नहीं कर सकते है, ने, 'मैं 'इन्य अ षाढ़ कर काप से निवेश्य करता हूं किं इस सबन की प्रतिष्ठा का। माम वया इए जौर मगर श्री जने वर विश्व ने गत ची में कही हैं मौर सकत काणव दिये हैं तो क र-जरी का इन के उपर मुकदमा चलना चाहिए मौर इन को उपर मुकदमा चलना चाहिए मौर इन को उपर मुकदमा चलना चाहिए मौर इन को तराजू में तोलना चाहिये मौर त लने के बाद प्राप इस पर पसे ही घाज निर्णय न ले, माप बाद में निर्णय लीजिए । दोनों ची बहुत ज्यादा चटिल है और कम से कम देश के सामने सही बात प्रानी चाहिए ।

MR SPEAKER: अभव इसके बारे में मैं देखया। फिर करेगे इसके बारे में बादा।

Let me consider it later on. Now, Papers laid on the Table.

18.40 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

AMENDMENTS TO AGREEMENT SETWERS GOVT OF INDIA AND ONGC

THE MINISTER OF PITROLEUM AND CHEMICALS (SHRI K. D. MALAVIYA): I beg to lay on the Table a copy each of the following mendments (Hindi and English versions) to the Agreement dated the 17th December, 1966 between the Gyvetsment of "India and Gil and Natural Gas Commission under seation 42 of the Income-tax Act, 1951:---

(1) Amendment dated the 16th March, 1974.